

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)

क्रमांक- आदेश/रिमाण्ड/49

दिनांक- 08.09.2026

रिमाण्ड ड्यूटी बाबत संशोधित कार्यालय आदेश

(रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक 09.09.2026 व 11.09.2026)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen./XII/08/90/1995 Dated 05-09-2026 की पालना में श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय करौली के पत्र क्रमांक स्था. /प.03/2026/171 दिनांक 07.09.2026 द्वारा जिला मुख्यालय करौली एवं तालुका मुख्यालय सपोटरा पर स्थित समस्त न्यायालयों/अधिकरण/बोर्ड में मतदान तिथि 09.09.2026 (बुधवार) को तथा तालुका मुख्यालय हिण्डौनसिटी एवं टोडाभीम पर स्थित समस्त न्यायालयों में मतदान तिथि 11.09.2026 (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मैं श्वेता भारद्वाज, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली उपरोक्त दिनांकों की रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आदेश पारित करती हूँ कि करौली जिला न्यायक्षेत्र के विनिर्दिष्ट मतदान दिवस को अवकाश घोषित किये गये क्षेत्र से संबंधित पुलिस थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए निम्न सारणी अनुसार कॉलम संख्या-3 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

माह सितम्बर 2026

क्र. सं.	मुख्यालय का नाम	नाम अधिकारी	पदनाम	ड्यूटी की दिनांक
01	02	03.	04.	05
01	जिला मुख्यालय करौली एवं तालुका मुख्यालय सपोटरा	श्रीमति लक्षिता सूत्रकार RJS	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	09 सितम्बर 2026 (बुधवार)
02	तालुका मुख्यालय हिण्डौनसिटी एवं टोडाभीम	श्री टेकचंद मीना RJS	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-01, हिण्डौनसिटी	11 सितम्बर 2026 (शुक्रवार)

नोट :- (1)- उक्तांकित दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश क्रमांक आदेश/रिमाण्ड/44 दिनांक 25.08.2026 यथावत रहेगा।

निर्देश:-

- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

क्रमांक- 1290 - 1297

दिनांक:- 08.09.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली।
- श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- संबंधित अधिकारी सर्व श्रीमति लक्षिता सूत्रकार आरजेएस/ श्री टेकचंद मीना आरजेएस
- सिस्टम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई डी पर आदेश भिजवावे एवं जिला न्यायालय करौली की वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।
- आदेश पत्रावली / नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली